पीठासीन अधिकारी :– डॉ. रविकुमार सुरपुर, आई.ए.एस.
पंचायत निगरानी संख्या :–11/2015

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
देवाराम पुत्र बींजाराम जटिया निवासी गांव आंगणवा पंचायत समिति मण्डोर, जिला जोधपुर।		1– ग्राम पंचायत सुरपुरा, पंचायत समिति मण्डोर, जिला जोधपुर जरिये सरपंच। 2– श्रीमती कमला पत्नी सुखाराम पंचायत समिति मण्डोर, जिला जोधपुर।

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 97, राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 विरूद्ध आबादी भूमि पट्टा विलेख संख्या–81 दिनांक 2010.2004 **जो मिसल संख्या–2004/33 अन्तर्गत राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 के नियम 167 व 157 के तहत जारी किया गया।**

उपस्थितिः–
1– श्री आवड़दान चारण अधिवक्ता (प्रार्थीपक्ष)
2– श्री किसनाराम विश्नोई अधिवक्ता (अप्रार्थी– 2)
3– अप्रार्थी–1 इत्तला बावजूद अनुपस्थित।

आदेश दिनांक 05.06.2017

आदेश

संक्षिप्त में पुनरीक्षण के तथ्य इस प्रकार हे कि अप्रार्थी सं0–1 ग्राम पंचायत सुरपुरा पंचायत समिति जोधपुर (मण्डोर) ने आबादी भूमि विकय के नियमों के विरूद्ध एवं निर्धारित प्रकिया के परे कार्यवाही कर जरिये पट्टा विलेख नम्बर 81 दिनांक 20.10.2004 जो मिसल संख्या 2004/33 अप्रार्थीनी श्रीमती कमला पत्नी सुखाराम निवासी आंगणवा, पंचायत समिति मण्डोर जिला जोधपुर के पक्ष में जारी किया गया, को निरस्त कराने के लिए यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97, राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 के तहत पेश हुई।

पुनरीक्षण प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीपक्ष को नोटिस जारी किये गये तथा ग्राम पंचायत सुरपुरा से मूल अभिलेख भी तलब किया गया। ग्राम पंचायत सुरपुरा के सरपंच का नोटिस पेशी तारीख 13.01.2016 का बाद तामील लौटा एवं **अप्रार्थी–2** श्रीमती कमला की ओर से अधिवक्ता श्री शेरसिंह व किसनाराम विश्नोई ने वकालतनामा पेश किया। ग्राम पंचायत की ओर से कोई उपस्थित नहीं। मूल रिकॉर्ड पट्टा रजिस्टर और मिसल ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं होने की रिपोर्ट संबंधित ग्राम सेवक ने जरिये पत्रांक 25/2016 दिनांक 18.07.16 प्रेषित की तथा कार्यवाही रजिस्टर 20.06.2002 से 20.10.2004 तक का प्रेषित किया गया। अप्रार्थी संख्या–2 की ओर जबाब पेश हो चुका है तथा दिनांक 16.05.2017 को उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

प्रार्थीपक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में बतलाया कि ग्राम पंचायत सुरपुरा ने ग्राम आंगणवा की आबादी भूमि 2850 वर्गफीट यानि 316.16 वर्गगज भूमि अप्रार्थीनी–2 श्रीमती कमला को मात्र 200/–रूपये में बेचान कर दिया तथा अप्रार्थी–2 के साथ मिलीभगत कर नियमों की अवहेलना कर फर्जी पट्टा जारी कर दिया। राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 के नियम 157 के तहत उन्हीं लोगों को पट्टा दिया जाता जिनका आबादी भूमि में पुराना मकान/आवास पर कब्जा हो परन्तु पत्रावली पर ऐसी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है कि अप्रार्थी–2 का किसी भी प्रकार से उक्त प्लॉट का कोई संभावित स्वत्व के हक बनता हो। अर्थात् नियम

खाली है। बहस में आगे बतलाया कि ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड में भी पंचों द्वारा मौका स्थल का निरीक्षण करने की रिपोर्ट नहीं है, न उन्होंने ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर नोटिस चस्पा करने की कार्यवाही की गई। बहस के निरन्तर में कहा कि सामान्यतः आबादी भूमि का विक्रय सार्वजनिक निलामी द्वारा प्लान बनाने के पश्चात् किया जाना चाहिए परन्तु इस प्रकरण में प्रकिया का पालना नहीं किया। बहस के अन्त में पंचायतीराज नियम, 1996 के प्रावधानों की प्रकिया की पूर्ण पालना नहीं कर आलौच्य पट्टा जारी किया गया, वो निरस्त योग्य होने से निरस्त किया जाय। बहस के समर्थन में 2012(5) WLC(Raj) पेज–663 पर दिये गये न्याय निर्णय की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया।

अप्रार्थी–2 के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में बतलाया कि आलौच्य पट्टा जारी करने के 12 वर्ष पश्चात् यह निगरानी पेश हुई तथा राजनैतिक विरोध के कारणों से पेश की गई अतः अत्यधिक विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने से निरस्त योग्य है। प्रार्थीपक्ष की विवादग्रस्त भूमि को लेकर Locus Standi क्या है, स्पष्ट नहीं किया है अतः हितबद्ध व्यक्ति नहीं होने से निगरानी पेश करने का अधिकारी नहीं है। अपनी बहस में आगे कहा कि ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार प्रस्ताव दिनांक 05.09.2004 को आपत्तियां आमंत्रित करने का नोटिस जारी किया गया उस दौरान किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर प्रस्ताव संख्या 07 के द्वारा सर्वसम्मति से पट्टा जारी करने का निर्णय लिया गया। बहस के निरन्तर में कहा कि राज्य सरकार के आदेश कमांक एफ 4 पी.सी./पं.रा.वि./आबादी पट्टा/2009/96 दिनांक 06.01.2010 तथा पंचायती राज नियम 157 के अधिसूचित संस्थान 4(7)पीआरडी/ला/रूल–एमेड/07/1166 दिनांक 09.04.2007 संशोधित करते हुए नियम 154(2) जोड़ा गया जिसके अन्तर्गत ऐसे व्यक्ति जिनके पास कोई भूखण्ड नहीं है उन्हें 300 वर्गगज तक भूखण्ड निःशुल्क नियमित करने को कहा है। बहस में यह भी बतलाया कि इस न्यायालय के समक्ष पूर्व में 11 निगरानियां इसी ग्राम पंचायत के विरूद्ध पेश की गई थी जो Locus Standi एवं विलम्ब के आधार पर निरस्त की जा चुकी है तथा उसके द्वारा पूर्व में हुए निर्णय की प्रतियां भी प्रस्तुत की गई। अतः यह निगरानी भी निरस्त योग्य है, जो निरस्त की जाय।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थीपक्ष की मुख्य आपत्ति यह रही कि विवादग्रस्त भूमि को लेकर प्रार्थी की Locus Standi क्या है, स्पष्ट नहीं किया है तथा यह निगरानी विलम्ब से प्रस्तुत होने एवं पूर्व से प्रस्तुत अन्य निगरानियां इसी तथ्य के आधार पर निरस्त की जा चुकी है। राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 की धारा 97 में स्पष्ट किया गया कि " राज्य सरकार, स्वप्रेरणा से या किसी भी हितबद्ध व्यक्ति द्वारा आवेदन किये जाने पर पर, किसी भी कार्यवाहियों के संबंध में, किसी पंचायती राज संस्था या उसकी किसी स्थायी समिति या उपसमिति का अभिलेख उनमें पारित किसी भी विनिश्चय या आदेश के सही होने, उसकी विधिकता औचित्य के बारे में या ऐसी कार्यवाहियों की नियमितता के बारे में स्वयं का समाधान करने के लिए मंगा सकेगी और उसकी परीक्षा कर सकेंगी और, यदि किसी मामले में, राज्य सरकार को यह प्रतीत हो कि ऐसे किसी भी विनिश्चय या आदेश को उपान्तरित या बातिल किया, उलट दिया या पुनर्विचारार्थ विप्रेषित किया जाना चाहिए तो वह तद्नुसार आदेश कर सकेगी:"

राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1994 की धारा 97 के तहत निगरानी प्रस्तुत करने के लिए समय सीमा बाधित नहीं अतः अप्रार्थी की यह आपत्ति अस्वीकार है कि निगरानी विलम्ब से प्रस्तुत होने से निरस्त योग्य है। ग्राम पंचायत से प्राप्त कार्यवाही रजिस्टर (20.06.2002 से 20.10.2004) का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि दिनांक 20.07.2004 को प्रस्ताव संख्या–8 के अनुसार गृह

2 पर अंकित नाम को काटकर उसके स्थान पर अप्रार्थी–2 का नाम अंकित किया गया तथा इसी प्रकार दिनांक 20.10.2004 को प्रस्ताव संख्या 6 के पश्चात् प्रस्ताव पुनः लगातार लिखते हुए प्रस्ताव सं. 7 की कार्यवाही में मिसल सं. 33 से 58 तक में पट्टा बनाने का प्रस्ताव लेने की कार्यवाही की जानी पाई गई जो संभवतय अप्रार्थीनी–2 व उसके साथ अन्य लोगों को लाभ पहुंचाना एवं ग्राम पंचायत की ऐसी कथित कार्यवाही पूर्ण संदेहात्मक जाहिर होता है। राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 के नियम 157 के तहत पुराने गृहों को विनियमितिकरण करने का प्रावधान है। प्रार्थीपक्ष की ओर से 2012(5) WLC(Raj) पेज–663 पर अभिनिर्धारित किया गया कि पट्टा याची के भूखण्ड के कब्जे को नियमित कर देने हेतु निर्गत नहीं किया जा सकता। अप्रार्थीनी–2 का बाड़ा नियमित किया गया या पुराना मकान इस बाबत् ग्राम पंचायत कार्यालय में रिकॉर्ड भी उपलब्ध नहीं है तथा न अप्रार्थीनी–2 ने दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये। नियम 158 के तहत कमजोर वर्गो का आवंटन मात्र 150 वर्गगज आबादी भूमि करने का ही प्रावधान था परन्तु वर्ष 2007 में उक्त नियम में संशोधन करते हुए 300 वर्गगज भूमि आवंटन करने का प्रावधान किया गया, परन्तु अप्रार्थीनी–2 के पक्ष में वर्ष 2004 में 316 वर्गगज भूखण्ड का पट्टा जारी किया जाना भी प्रथम दृष्टया विधि विरूद्ध भी है।

उपरोक्त विवेचनानुसार संबंधित ग्राम पंचायत में अप्रार्थीनी के पक्ष में जारी किये जाने वाले कथित पट्टा विलेख का रजिस्टर एवं उससे संबंधित पत्रावली उपलब्ध नहीं होना भी पूर्ण संदेह उत्पन्न करता है, परिणामस्वरूप निगरानी स्वीकार योग्य होने से स्वीकार की जाती है तथा अप्रार्थी–2 के पक्ष में जारी आलौच्य पट्टा विलेख सं. 81 दिनांक 20.10.2004 निरस्त किया जाता है। प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु ग्राम पंचायत सुरपुरा पंचायत समिति जोधपुर (मुख्यालय मण्डोर) को प्रतिप्रेषित करते हुए निर्देशित किया जाता है कि अप्रार्थीया–2 के पक्ष में जारी कथित पट्टा विलेख संख्या–81 से संबंधित संधारित पत्रावली सं. 33/2004 एवं पट्टा रजिस्टर की तलाश करावे तथा पत्रावली व पट्टा रजिस्टर मिलने पर पुनः राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 के नियमों के तहत विधिक प्रकिया के तहत सुनवाई करते हुए पट्टा प्रकरण का निस्तारण करें। यदि पूर्व संधारित मिसल व उक्त अवधि का पट्टा रजिस्टर तलाश कराने पर भी नहीं मिले तो इसके लिए कौन जिम्मेवार है, इत्यादि की जांच कर दो माह में जांच रिपोर्ट विकास अधिकारी को संबंधित कर्मचारी के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही करने हेतु प्रेषित करें। आदेश सुनाया गया। आदेश की प्रति मूल रिकॉर्ड (पंचायत कार्यवाही रजिस्टर) संबंधित ग्राम पंचायत को पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।